राजस्थान सरकार
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांकः–एफ 5(50)एसीटीएडी/माडा/275(1)भीलवाडा/2019–20/25783-93 दिनांकः-24.10.2020

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद,
भीलवाड़ा।

विषयः– सामुदायिक भवन निर्माण की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 22538–82 दिनांक 25.09.2020 द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा, से निम्नांकित कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हुई है के आधार पर कॉलम संख्या–7 अनुसार वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है :–

कार्यकारी एजेन्सी– ग्राम पंचायत **(राशि लाखो में)**

क्र. सं.	कार्य का नाम	ग्रा.प./पं.स.	प्रशासनिक स्वीकृति		तकनीकी स्वीकृति	
			क्र/दि	राशि	क्र/दि	राशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	सामुदायिक भवन निर्माण भील बस्ती, ग्राम सरेवडी	भींटा/ रायपुर	22538–82 25.09.2020	5.00	157/ 24.09.20	5.00
2	सामुदायिक भवन निर्माण भील बस्ती, ग्राम भींटा	भींटा/ रायपुर	22538–82 25.09.2020	5.00	158/ 24.09.20	5.00
	योग			**10.00**		**10.00**

उपरोक्त कार्य हेतु राशि की व्यवस्था पृथक से की जावेगी।

कार्यो के संपादन मे निम्नलिखित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे–

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावें। दोहरा व्यय के लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य सार्वजनिक एवं निर्विवाद भूमि पर कब्जा प्राप्त कर प्रारम्भ कराया जावें। प्रस्तावित सामुदायिक भवन से अधिकांश जनजाति आबादी लाभान्वित हो।
3. कार्यकारी एजेन्सी द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका की शर्तों के अनुसार कार्य का सम्पादन **गुणवत्तापूर्वक** किया जाने हेतु उत्तरदायी होगी।
4. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के क्रम मे जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नही किया जावें। **आर.सी.सी फेम स्ट्रक्चर निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी जावे।**
5. कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लौटाई जावे।
6. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy मे comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
7. कार्य के गुणवत्तापूर्वक सम्पादन के लिए तकनीकी स्वीकृति जारीकर्त्ता अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।
8. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं संशोधन, 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन **गुणवत्तापूर्वक** किया जावे।

क्रमशः-2

-2-

9. सामुदायिक निर्माण कार्य में तकनीकी स्वीकृति के साथ पट्टा की प्रति संलग्न करें। निर्माण पश्चात सामुदायिक भवन का संचालन सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही राशि हस्तान्तरित की जावें।

भवदीय,

//

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)I.A.S.

आयुक्त

क्रमांकः–एफ 5(50)एसीटीएडी/माडा/275(1)भीलवाडा/2019–20/25783-93 दिनांकः– 24.10.2020

प्रतिलिपि–

1. निजी सचिव, मां.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, भीलवाड़ा।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन परियोजना अधिकारी (माडा) जिला परिषद, भीलवाड़ा।
5. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति रायपुर, जिला भीलवाड़ा।
7. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
8. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
9. अभियांत्रिकी शाखा कार्यालय हाजा।
10. गार्ड फाईल।

आयुक्त

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल EPABX : 2428721–24 फेक्स : 0294–2411417

ई–मेल : comm.tad@rajasthan.gov.in, Website : www.tad.rajasthan.gov.in